

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, सेवायें, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक : ई-26/2025/44

दिनांक : 24/1/25

-: आदेश :-

वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ6(8)एफडी/रूल्स/2017 दिनांक 30.10.2017 में वर्णित शर्तों के अध्याधीन चिकित्सकों द्वारा प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं करने और प्रोफेशनल फीस नहीं लेने का विकल्प पत्र प्रस्तुत करने के आधार पर निम्नांकित अधिकारियों को वर्ष 2025 हेतु दिनांक 01.01.2025 से नियमानुसार नॉन-प्रैक्टिसिंग भत्ता एतद्वारा स्वीकृत किया जाता है:-

क्रमांक	चिकित्सक का नाम	वेतन आहरित / कार्य आवंटित पद का नाम
1	डा० रवि प्रकाश माथुर	निदेशक
2	डा० रवि प्रकाश शर्मा	निदेशक (जन स्वास्थ्य)
3.	डा० सुशील कुमार परमार	अतिरिक्त निदेशक
4.	डा० नरोत्तम शर्मा	अतिरिक्त निदेशक
5.	डा० प्रवीण असवाल	अतिरिक्त निदेशक
6.	डा० सुनीता थाकन	उपनिदेशक एवं एसएनओ वाईरल हैपेटाइटिस
7	डा० दिनेश पारीक	संयुक्त निदेशक
8.	डा० विजय लक्ष्मी गोदारा	राज्य कुष्ठ रोग अधिकारी
9.	डा० पुरुषोत्तम सोनी	राज्य क्षय रोग अधिकारी
10.	डा० रामनिवास मीणा	संयुक्त निदेशक
11.	डा० संजय सक्सेना	संयुक्त निदेशक
12.	डा० देवेन्द्र शर्मा	संयुक्त निदेशक
13.	डा० सम्मत सिंह जोधा	संयुक्त निदेशक अजमेर
14.	डा० देवेन्द्र चौधरी	संयुक्त निदेशक बीकानेर।
15.	डा० प्रकाश चन्द्र शर्मा	संयुक्त निदेशक उदयपुर।
16.	डा० विजय मित्तल	प्रमुचिअ
17.	डा० सुभाष खोलिया	संयुक्त निदेशक
18	डा० मनोज शर्मा	संयुक्त निदेशक
19.	डा० आशुतोष गर्ग	संयुक्त निदेशक
20.	डा० ओ०पी० शर्मा	संयुक्त निदेशक/एसएनओ लीगल
22.	डा० इन्द्रजीत सिंह	डिप्टी एसटीओ
23.	डा० अजय चौधरी	उपनिदेशक
24.	डा० रोमेल सिंह	अतिरिक्त निदेशक (प्लान)
25.	डा० मुस्ताक अली खॉन	संयुक्त निदेशक मलेरिया
26.	डा० निर्मला शर्मा	उपनिदेशक
27.	डा० ओ०पी० शर्मा	उपनिदेशक
28.	डा० सुनील सिंह	उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी।
29.	डा० आशा मीणा	चिकित्सा अधिकारी
30.	डा० उमेश खन्ना	चिकित्सा अधिकारी
31.	डा० हेमराज मित्तल	चिकित्सा अधिकारी
32.	डा० रामबाबू जायसवाल	चिकित्सा अधिकारी
33.	डा० अभिनव अग्रवाल	उपनिदेशक(नर्सिंग)
34.	डा० विरेन्द्र कुमार	उपनिदेशक(नर्सिंग)
35.	डा० दुर्गेश राय	उपनिदेशक
36.	डा० सूरज प्रसाद मीणा	वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी
37.	डा० जिनेश सैनी	उप मु.चि.एवं स्वा. अधि.
38.	डा० अनमोल खण्डेलवाल	चिकित्सा अधिकारी
39	डा० राकेश गोचर	उपनिदेशक
40.	डा० सॉवरमल स्वामी	वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी
41.	डा० प्रदीप शर्मा	उपनिदेशक
42	डा० सुधीर मिश्रा	उपनिदेशक
43	डा० मुकेश विजयवर्गीय	संयुक्त निदेशक
44	डा० सीमा जायसवाल	उपनिदेशक
45	डा० रघुराज सिंह यादव	संयुक्त निदेशक
46	डा० नरेन्द्र कुमार आर्य	चिकित्सा अधिकारी
47	डा० मेघा गौड़	चिकित्सा अधिकारी (लीव रिजर्व)
48	डा० आशा लता	चिकित्सा अधिकारी (लीव रिजर्व)

49	डा0 अनिल कुमार चौधरी	चिकित्सा अधिकारी लीव रिजर्व
50	डा0 कृष्णा वर्मा	चिकित्सा अधिकारी लीव रिजर्व
51	डा0 अदिती अग्रवाल	चिकित्सा अधिकारी लीव रिजर्व
52	डा0 रामकेश चौधरी	चिकित्सा अधिकारी लीव रिजर्व
53	डा0 पंकज कुमार टेलर	चिकित्सा अधिकारी लीव रिजर्व
54	डा0 प्रमोद चौधरी	चिकित्सा अधिकारी लीव रिजर्व
55	डा0 पिकू सिन्हा	चिकित्सा अधिकारी लीव रिजर्व
56	डा0 नरेन्द्र विश्णोई	चिकित्सा अधिकारी लीव रिजर्व
57	डा0 मोहम्मद शकील	चिकित्सा अधिकारी लीव रिजर्व
58	डा0 सतीश चन्द शर्मा	चिकित्सा अधिकारी (लीव रिजर्व)
59	डा0 मनोज ठागरिया	चिकित्सा अधिकारी (लीव रिजर्व)
60	डा0 जलज विजय	चिकित्सा अधिकारी (लीव रिजर्व)
61	डा0 हरिशंकर	चिकित्सा अधिकारी (लीव रिजर्व)
62	डा0 राजेन्द्र गोरा	चिकित्सा अधिकारी (लीव रिजर्व)
63	डा0 सुरेन्द्र कुमार सैनी	चिकित्सा अधिकारी (लीव रिजर्व)
64	डा0 दिलीप गोयल	चिकित्सा अधिकारी (लीव रिजर्व)
65	डा0 वासुदेव मिश्रा	चिकित्सा अधिकारी (लीव रिजर्व)
66	डा0 प्रतीक तिवाड़ी	चिकित्सा अधिकारी (लीव रिजर्व)
67	डा0 नीलिमा पुरोहित	चिकित्सा अधिकारी (लीव रिजर्व)
68	डा0 अमित लाम्बा	चिकित्सा अधिकारी (लीव रिजर्व)
69	डा0 जितेन्द्र कुमार चारण	चिकित्सा अधिकारी (लीव रिजर्व)
70	डा0 संजय बुन्देला	चिकित्सा अधिकारी (लीव रिजर्व)

निदेशक (जन स्वास्थ्य)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये  
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक : ई-26/2025/44

दिनांक : 24/1/25

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. शासन सचिव, वित्त (नियम) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निदेशक (आरसीएच) मुख्यालय।
3. संबंधित संयुक्त निदेशक जोन राजस्थान।
4. आहरण एवं वितरण अधिकारी, मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि वित्त विभाग के आदेशानुसार उक्त चिकित्सकों से निर्धारित प्रपत्र में प्रत्येक माह का विकल्प पत्र आवश्यक रूप से प्राप्त करने के उपरान्त नियमानुसार एन.पी.ए. का भुगतान किया जावे। इसके अभाव में भुगतान नहीं किया जाना सुनिश्चित करें।
5. संबंधित चिकित्सकों को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वे वित्त विभाग के आदेशानुसार निर्धारित प्रपत्र में विकल्प पत्र प्रत्येक माह की 15 तारीख तक संबंधित आहरण एवं वितरण अधिकारी को आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें। इसके साथ यह भी सूचित किया जाता है कि एनपीए का भुगतान प्राप्त करने के उपरान्त भी यदि प्राईवेट प्रेक्टिस में लिप्त पाया जाता है तो नियमानुसार एनपीए की वसूली के साथ-साथ अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए स्वयं उत्तरदायी होंगे।
6. प्रभारी सर्वर रूम को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को आज ही विभागीय वेब साईड पर अपलोड करावे।
7. आदेश/निजी पत्रावली।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये  
राजस्थान, जयपुर।